<u>रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट द्वारा</u>

<u>संख्या: 31/2016/606 प्रो0/51-2016-14(17)/2015</u>

प्रेषक,

जितेन्द्र राम त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
मुख्य मंत्री एवं प्रोटोकाल,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर ।

<u>मुख्य मंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल अनुभाग)</u> लखनऊ : दिनांक 10 मार्च, 2016

विषय:- राज्य अतिथियों के सेवा-सत्कार पर व्यय हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य अतिथियों के परिवहन से संबंधित आपके पत्र संख्या- 621/वी0आई0पी0-रा0अ0व्यय-2015-16, दिनांक 26 फरवरी, 2016 के साथ प्राप्त देयकों के भुगतान हेतु कुल धनराशि **रू0 1,21,079/-(रूपये एक लाख इक्कीस हजार उन्यासी मात्र)** आवंटित करते हुए उसे व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

2- कृपया उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण की सूचना संबंधित कोषागार की डी0डी0ओ0 रिकान्सिलेशन स्टेटमेन्ट की प्रमाणित प्रति एवं भुगतान का व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र-1 पर शासन को एक सप्ताह के अन्दर अवश्य उपलब्ध करा दिया जाये । उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि देयक का भुगतान दुबारा नहीं किया जा रहा है । उक्त् से संबंधित देयक मूलरुप में वापस किये जा रहे है ।

3- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-84 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक- 2053- जिला प्रशासन -आयोजनेत्तर -093-जिला स्थापनायें -03- कलेक्ट्रेट स्थापनायें- 22- आतिथ्य व्यय / व्यय विषयक भत्ता आदि के नामें डाला जायेगा ।

<u>संलग्नक (16 देयक मूलरूप में)</u>

भवदीय,

(जितेन्द्र राम त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव । -2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या: 31/2016/606 (1)प्रो/51-2016-14(17)/2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (प्रथम), इलाहाबाद ।
2- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5,
3- कोषाधिकारी, गोरखपुर ।
4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ ।
5- क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, गोरखपुर, फैजाबाद ।
6- कार्यालय आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र राम त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।